भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3156

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है

कोयले के परिवहन का प्रभाव

3156. श्री प्रवीन खंडेलवालः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-एनसीआर सहित घनी आबादी वाले शहरी गलियारों से कोयले के परिवहन संबंधी पर्यावरणीय और संभार तंत्रीय प्रभावों का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्वच्छ कोयला प्रबंधन, परिवहन के ढके हुए साधनों और मशीनीकृत लदान प्रणालियों को अनिवार्य किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारगमन हानियों और प्रदूषण को कम करने के लिए कोयले के संभार तंत्र की डिजिटल निगरानी की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शहरी कोयला प्रबंधन अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में कोयले के संभार तंत्र के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : कोयले का परिवहन रेलवे सहित कई माध्यमों से किया जाता है। भारतीय रेलवे ने केंद्र और राज्य सरकारों के विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित प्रदूषण और पर्यावरण मानदंडों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए, रेलवे जोनों को ग्रीन बेल्ट के विकास, डस्ट स्क्रीन वाल्स/पवन अवरोधकों की संस्थापना और कोयला लदान और

उतराई टर्मिनलों पर पानी के छिड़काव के प्रावधान जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने परिवहन के दौरान धूल उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी माल ढुलाई टर्मिनलों पर कोयले सहित ढीली या थोक वस्तुओं के लदान के दौरान खुले वैगनों को तिरपाल के साथ कवर करने के लिए एक अतिरिक्त खाली घंटे की अनुमति दी है।

(ख) : पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्रदान करते समय, कुछ पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय /उपशमन उपाय जैसे कोयला परिवहन सड़कों का सुदृढ़ीकरण, परिवहन के दौरान सामग्री के रिसाव से बचने के लिए ढके हुए ट्रकों में कोयले का परिवहन, माल डिब्बों पर गीले कोयले का लदान, ट्रकों की आवाजाही और डंपरों द्वारा उत्पन्न धूल को नियंत्रित करने के लिए ढुलाई सड़कों के साथ-साथ मोबाइल स्प्रिंकलर लगाना, एकीकृत कोयला हैंडलिंग संयंत्र (सीएचपी) का निर्माण, मशीनीकृत कोयला लदान प्रणाली का उपयोग आदि को ईएमपी (पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं) को कार्यान्वित करने के लिए निर्धारित किया गया है, जिनका अनुपालन कोयला परिवहन के कारण धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए परियोजना प्रस्तावकों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा जारी वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्रचालन की सहमति (सीटीओ) में भी वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यह शर्त दी गई है।

(ग) : कोयला संभारतंत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा डिजिटल निगरानी प्रणालियां संस्थापित की जा रही हैं। इनमें एंटरप्राइज डिजिटल प्लेटफॉर्म, जीपीएस-आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज, लोडिंग और डिस्पैच पॉइंट्स पर सीसीटीवी निगरानी और कोयला शक्ति डैशबोर्ड जैसे आंतरिक डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से प्रेषण और लॉजिस्टिक्स डेटा का एकीकरण करना शामिल है। इस तरह की प्रणालियां कोयले की आवाजाही की निगरानी करने, प्रचालन दक्षता में सुधार करने और पारगमन नुकसान की संभावना को कम करने में सहायता करती हैं।

(घ) : खनन क्षेत्रों में कोयला हैंडलिंग और निकासी अवसंरचना का आधुनिकीकरण मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग संयंत्रों, तीव्र लदान प्रणालियों और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं के विकास के माध्यम से किया जा रहा है, जो मशीनीकृत लदान को सुविधाजनक बनाता है और कोयले की मैनुअल हैंडलिंग को कम करता है। ये प्रणालियां कोयला निकासी की दक्षता में सुधार करती हैं और लदान और प्रेषण कार्यों के दौरान धूल उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती हैं।

(ङ) : कोयला खनन के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत एक विनियामक उपकरण के रूप में पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया तैयार की है। उक्त अधिनियम के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 को अधिसूचित किया है, जो कोयला कंपनियों द्वारा तैयार ईआईए रिपोर्टों के व्यापक विश्लेषण के बाद पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित है। कोयला खनन परियोजनाओं के लिए ईआईए में वायु, जल, वन आवरण और जैव विविधता पर प्रभाव का आकलन करना शामिल है। ईआईए में खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों का उपाय करने के लिए धूल दमन और जल प्रबंधन प्रणाली, शोर नियंत्रण उपाय और ग्रीन बेल्ट विकास योजनाओं जैसी विशिष्ट शमन कार्यनीतियां भी शामिल हैं।

*****